



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड
लो०नि०वि०पोखरी (चमोली)

E mail- eepmgsypokhari@rediffmail.com

पत्रांक 1694 / 1सी०वनभूमि
सेवा में,

दिनांक 06 / 11 / 2025

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी काण्डई मोटर मार्ग पर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 4224 / 12-1 गोपेश्वर दिनांक 06.03.2025।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र एवं क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की दिनांक 13 मार्च 2024 की बैठक में मांगी गई बिन्दुवार सूचना का विवरण इस खण्ड के पत्रांक 1290 / 1सी० वनभूमि दिनांक 12-09-2024 (संलग्न) द्वारा प्रेषित की गई है एवं आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में संशोधित एन०पी०वी० की धनराशि रू० 3291698.00 मात्र जमा कर दी गई है (संलग्न)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

man
अधिशासी अभियन्ता, 06/11/2025
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी(चमोली)

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर मुख्यालय-गौचर को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता प्रथम, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० पोखरी, मुख्यालय-गोपेश्वर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी(चमोली)

o/c



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड
लौ०नि०वि०, पोखरी

Phone No- 01372-252107

Mall:- cepmgsypokharl@rediffmail.com

पत्रांक 1290 / 1सी0 वनभूमि
सेवा में,

दिनांक 12 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:-

Diversion of 7.35 hac of Forest land for Construction of Pokhari to Kandai Motor Road in favour of MoRTH within the Jurisdiction of Kedarnath wild Life Division, Gopeshwar, District Chamoli, Utrakhand.

सन्दर्भ:-

83वी आर0 ई0 सी0 बैठक दिनांक 13 मार्च, 2024 के कार्यवृत्त पत्रांक RO-DDN/REC/1-2014/V01-6/1614, दिनांक 22.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0 ई0 सी0) बैठक दिनांक 13 मार्च, 2024 के कार्यवृत्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग, प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/10131/2015, वनभूमि 7.35 हे० के हस्तान्तरण हेतु दिनांक 13 मार्च, 2024 को भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में 83वी आर0 ई0 सी0 की बैठक सम्पन्न हुई है, जिसमें प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/10131/2015 के विधिवत स्वीकृत हेतु चर्चा कर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव को आगामी REC बैठक में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा मांगी गयी सूचना बिन्दुवार उपलब्ध करायी जा रही है।

क्र० सं०	Decision of REC / क्षेत्रीय सशक्त समिति का निर्णय	Information/ Documents / Clarifications from USER Agency
1	The User Agency shall submit an undertaking that the unused piece of forest land (for which stage-I has been accorded but used due to change in the road alignment) is to be handed over to state Forest Department.	प्रयोगता Agency द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग न होने वाली वनभूमि को राज्य वन विभाग को समर्पित कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्नक-1)
2	Regarding the black-topping of the road, the State Forest Department and User Agency shall submit details as to when the working permission was granted and when the said road construction has been completed ?	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-XII के अन्तर्गत <u>पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग</u> का निर्माण कार्य किया गया है। मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव <u>FP/UK/ROAD/10131/2015</u> को भारत सरकार के कार्यालय पत्रांक <u>08बी0/यू0सी0पी0/06/117/2015/एफ0सी0/959</u> दिनांक <u>07.08.2018</u> द्वारा

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। (सैद्धान्तिक स्वीकृत पत्र संलग्न-2)

तथा भारत सरकार के आदेश सं० 11-306/2014-FC दिनांक 08 अगस्त, 2014 जो The Principal Secretary (Forest) For All State and Union Territory Governments को प्रेषित है। (भारत सरकार का पत्र संलग्न-3)।

जिसके अनुसार "The central Government hereby decides that for Linear Projects of National Highways Authority of India (NHAI), Borders Roads organization (BRO), Central Public work Department (CPWD), Ministry of Road Transport and Highway (MoRTH), Ministry of Railway and various other Central agencies, In Principle approval under the forest (conservation) Act, 1980 may be deemed as working Permission for tree cutting and Commencement of work".

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गठित वनभूमि प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.08.2018 में प्राप्त करने के उपरान्त ही मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य सितम्बर, 2022 में पूर्ण किया गया, तथा भारत सरकार के आदेश सं०- 11-306/2014-FC दिनांक 08 अगस्त, 2014 के निर्देशों के अनुपालन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की वनभूमि एवं वन्य वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचायी गयी है।

अतः महोदय उपरोक्त बिन्दुओं की आख्या स्वीकार करते हुए प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/10131/2015 को आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) बैठक में सम्मिलित करने हेतु आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि०, पोखरी।

प्रतिमान
1/2/2022
20/08/20

